ACCOUNT MANUAL

© Can Stock Photo

सहकारी संस्थाओं का लेखांकन

द्वि प्रविष्टि प्रणाली

द्वि प्रविष्टि प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किसी भी सौदे के दो पक्ष होते है। एक पक्ष अगर कुछ देता है तो दूसरा पक्ष उसे प्राप्त करने वाला होता है। व्यापार मे कुछ आता है, तो कुछ जाता भी है। इस प्रकार प्रत्येक व्यवहार का प्रभाव दो पक्ष अर्थात दो लेखाओ पर पड़ता है। इसलिये प्रत्येक सौदों की प्रविष्टि दो लेखों में की जाती है।

परिभाषा–द्वि प्रविष्टि प्रणाली (Double Entry System**)**

दोहरी लेखा प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक सौदे के प्राप्तकर्ता को मिलने वाले मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसी प्रणाली के अनुसार प्रत्येक ऋणी का धनी होता है और प्रत्येक धनी का ऋणी। दोहरा लेखा प्रणाली के अन्तर्गत दो पक्ष होते है। जिन्हें जमा या नामे के रूप में जाना जाता है। इसमें एक पक्ष देने वाला व दूसरा पक्ष प्राप्त करने वाला होता है। एक खाते को नामे (डेबिट) करने पर दूसरा पक्ष जमा (क्रेडिट) हो जाता है। अतः निर्धारित नियमों के अन्तर्गत डेबिट व क्रेडिट बोध कराने की प्रक्रिया दोहरा लेखा प्रणाली का मुख्य सिद्धांत है।

खातों का वर्गीकरण

खातों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाता है।

1. **व्यक्तिगत खाते** –ऐसे खाते जो व्यक्ति या संस्था का बोध कराते है। इस श्रेणी में आते है। जैसे राम, श्याम,एक्स लिमिटेड आदि।
2. **वास्तविक या वस्तुगत खाते** –ये खाते वस्तु की विद्यमानता का बोध कराते है। इसमें चल व अचल सम्पत्ति तथा क्रय, विक्रय ,स्कंध आदि से संबंधित खाते आते है।
3. **अवास्तविक या नाम मात्र खाते** –लाभ हानि या व्यय से संबंधित खाते इस वर्ग में आते है। जैसे मजदूरी दी, वेतन दिया, दान दिया ,बट्टा, कमीशन मिला आदि।

खातों को नामें एवं जमा करने के नियम

1. व्यक्तिगत खातों का नियम –पाने वाले को डेबिट (नामें) और देने वाले को क्रेडिट (जमा)
2. वास्ताविक खाते का नियम –जो वस्तु या सम्पत्ति आती है। उसे डेबिट (नामें) और जो वस्तु या सम्पत्ति जाती है उसे क्रेडिट (जमा)
3. अवास्तविक खाते का नियम –समस्त हानियों या खर्चो को डेविट (नामें) तथा समस्त प्राप्तियों को या लाभ को क्रेडिट (जमा)

क्रमांक	खाते	नामें (डेबिट)	जमा (क्रेडिट)
1	व्यक्तिगत खाते	पाने वाले को	देने वाले को
2	वास्तविक खाते	जो आता है	जो जाता है
3	अवास्तविक खाते	हानि व खर्चो को	आय व लाभ

मूल प्रविष्टि पुस्तकें तैयार करना और लिखना

रोजनामचा

रोजनामचा का आशय नित्य प्रति व्यवसायिक व्यवहारों की प्रविष्टि जिस पुस्तक या बही में की जाती है उसे रोजनामचा, पंजी या जनरल कहते है। जनरल वह पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के प्रत्येक वित्तीय सौदों के डेबिट एवं क्रेडिट दोनों रूपों का प्रारंभिक लेखा तारीखवार एवं क्रम अनुसार किया जाता है।

रोजनामचा की विशेषतायें

1. सभी सौदों की प्रविष्टियां की जाती है।
2. प्रत्येक सौदे को दो भागों में बांटा जाता है। नामे (डेबिट) और जमा(क्रेडिट)
3. संस्था में जो कुछ आता है उसे डेविट तथा संस्था से जो कुछ जाता है उसे क्रेडिट करते हैं।
4. जितने भी व्यय के मद होते हैं उसे डेबिट तथा जितनी भी आय के मद होते हैं उसे क्रेडिट किया जाता है।
5. यह खाता बही के लिये आधार प्रस्तुत करता है।

रोजनामचा का नमूना

दिनांक	विवरण	खाता पृष्ठ संख्या	डेबिट राशि	क्रेडिट राशि

रोजनामचा तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

जनरल लिखते समय जिस खाते को डेबिट करना हो उसे विवरण वाले खंड में बायीं तरफ लाईन के पास लिखते है और उसी लाइन में उसी खंड में दाहिनी तरफ लाइन के पास डी.आर. लिखते है। जिस खाते को क्रेडिट करना होता है। उसे दूसरी लाइन में इस सौदे का संक्षिप्त विवरण लिखते है। राशि के दोनो खंडों में राशियां दाहिनी तरफ की लाइन के पास लिखी जाती है। हर पृष्ठ के अंत में राशि का योग किया जाता है। यदि सभी सौदे एक ही पृष्ठ पर लिखे जाते है।

तब तो सिर्फ उन सभी का योग किया जाता है। परन्तु यदि सभी सौदे एक ही पृष्ठ पर नही लिख पाते तब प्रत्येक पृष्ठ के अंत में योग करके उस योग को अगले पृष्ठ के शुरू में ले जाते है उसके पहले पृष्ठ के अंत में ''योग आगे ले जाया गया'' लिखते है और दूसरे पृष्ठ के शुरू में ''योग पीछे से लाया गया'' लिखा जाता है।

पूंजी खाता व्यक्तिगत खाता है –

- व्यापार को और व्यापारी को एक दूसरे से अलग समझा जाता है।
- जब कोई व्यापारी व्यापार में पूंजी लगाता है तो व्यापार उसका ऋणी (कर्जदार) हो जाता है और जब व्यापारी व्यापार का ऋणदाता होता है।
- व्यापारी का खाता व्यापार में पूंजी खाता के नाम से खोला जाता है उसे व्यक्तिगत नाम से नहीं। अतः पूंजी खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है।

व्यय का लेखा –

खर्चे की रकम पाने वाले के व्यक्तिगत खाते में डेबिट नहीं की जाती उसे खर्चे खाते में डेबिट करते है। जैसे बिजली मिस्त्री को मजदूरी दी जाती है। वह मजदूरी खाते में लिखी जावेगी न कि बिजली सुधारने वाले व्यक्ति के खाते में।